मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-3/2015/नियम/चार भोपाल,दिनांक23जुलाई, 2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खाते को बंद करने के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-3/2015/नियम/चार, दिनांक 17 नवम्बर, 2015।

—◆—

संदर्भित परिपत्र में राज्य शासन की समस्त विभागों से यह अपेक्षा रही है कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाकर जमा राशि राज्य की संचित निधि में जमा की जाये ।

2/ उपर्युक्त निर्देश के उपरान्त अभी भी कतिपय विभागों के अन्तर्गत बैंक खाते संचालित हैं जिन्हें बंद करने की अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है । अतः ऐसे बैंक खाते, जिनके लिये वित्त विभाग की सुस्पष्ट स्वीकृति उपलब्ध नहीं है, उनका संचालन अर्थात इन खातों से लेन-देन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाकर खाते में जमा राशि तत्काल शासकीय कोष में, चालान से जमा की जाये ।

3/ कृपया अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उपर्युक्त अनुसार शासकीय कोष में जमा की गई राशि तथा बंद किये गये बैंक खातों की जानकारी संलग्न प्रमाण पत्र के साथ कोषालय अधिकारी को दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक उपलब्ध करा दी जाये ।

PTO

4/ उपर्युक्त अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त यदि ऐसे बैंक खाते जिनके लिए वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं है संचालित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी (जिसके पदनाम से बैंक खाता है) से जमा राशि का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रं. F11-3/15/1040/2016/नियम/चार भोपाल,दिनांक23जुलाई, 2016

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश ।
4. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जब तक आहरण अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र में दर्शाये अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक उनका माह जून, 2016 का वेतन आहरित नहीं किया जाये ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग